राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2024

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2024 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित पाये गये अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के आधार पर 31.01.2024 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)	**31.01.2024 तक कारित अपराध के लिए यान के लिए संदेय शमन रकम**
1	2	3
1.	1 लाख तक	अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/ 1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय रकम का 25 प्रतिशत
2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	25,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 लाख से अधिक की रकम का 10 प्रतिशत
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	1,15,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 10 लाख से अधिक की रकम का 8 प्रतिशत
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	2,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 25 लाख से अधिक की रकम का 6 प्रतिशत
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	3,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 50 लाख से अधिक की रकम का 4 प्रतिशत
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	4,85,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 75 लाख से अधिक की रकम का 2 प्रतिशत

7.	1 करोड़ से अधिक	5,35,000/- रु + अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम /मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 के अधीन संदेय 1 करोड़ से अधिक की रकम का 1 प्रतिशत

परन्तु,-

(i) यान के लिए शमन रकम, यान के बीमा प्रमाणपत्र में दिये गये बीमित मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगी।

(ii) कृषि ट्रैक्टर-ट्राली के लिए शमन रकम 7,500/- रु. से अधिक नहीं होगी।

यह अधिसूचना 31.07.2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/2]

राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)

उप शासन सचिव